**दिनांक–07.08.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ VC के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।**

---

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है:–
   - श्री नजर हुसैन, विशेष सचिव
   - श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव
   - श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
   - श्री अखिलेश कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी
   - श्रीमती राज ऐश्वर्या श्री, विशेष कार्य पदाधिकारी
   - श्री निर्भय कुमार सिंह, अवर सचिव
   - श्री अखिलेश्वर मिश्रा, उप निदेशक, अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग
   - श्री संजय कुमार, उप निदेशक, अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया था, जो पदाधिकारी बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित हैं, उनसे स्पष्टीकरण किये जाने का निदेश दिया गया।

**(अनुपालनः– प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–01, पंचायती राज विभाग)**

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गयेः–

**I. Audit:--**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक वित्तीय वर्ष 2024–25 के अंकेक्षण हेतु कुल 22 पंचायत समिति एवं 182 ग्राम पंचायतों लंबित है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर सभी लंबित पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतो का ऑडिट कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

DLFA के प्रतिनिधियो द्वारा बताया गया कि कतिपय जिलो द्वारा आवश्यक/पर्याप्त अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे ऑडिट कार्य संपन्न करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। सभी जिलो के DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि DLFA के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर आवश्यक अभिलेख ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विदित हो कि 16वाँ वित्त आयोग की अनुशंसा में Entry Level Condition के रूप में वित्तीय वर्ष 2024–25 का अंकेक्षित लेखा होना आवश्यक है।

**(अनुपालनः–सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)**

**कृ0पृ0उ0**

## II. लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थिति तथा अनुपालन :–

**(क)** बिहार के सभी जिलों के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा की गयी।

मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर, गया जी, गोपालगंज एवं पूर्वी चंपारण जिलों के लंबित राशि की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया है कि अपने जिले का लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

विदित हो कि 16वाँ वित्त आयोग की अनुशंसा में Entry Level Condition के रूप में 14वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त राशि का शत–प्रतिशत व्यय करना आवश्यक है। इस संबंध में सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि दिनांक– 10.08.2026 तक 14वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त राशि का शत–प्रतिशत व्यय से संबंधित प्रमाण–पत्र विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

**(ख)** **Departmental Audit Progress Report (FY: 2024-25)-** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 38 जिला परिषद के विरूद्ध 37, 533 पंचायत समिति के विरूद्ध 529, 8053 पंचायत के विरूद्ध 7949 एवं 8053 ग्राम कचहरी के विरूद्ध 7896 में ऑडिट कार्य पूर्ण किया गया है। निदेश दिया गया कि ऑडिट कार्य को गंभीरता से लेते हुए एक सप्ताह के भीतर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

**(ग)** **Status of Scheme wise & District wise Audit Report (FY: 2024-25):-** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कतिपय जिलो द्वारा एक भी योजना का ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। निदेश दिया गया कि अगले सप्ताह तक सभी योजनाओं का ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

**(अनुपालनः–सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)**

## III. मुख्यमंत्री सहयोग कार्यक्रम–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 20783 प्राप्त मामलों के विरूद्ध 18620 मामलों का ससमय निष्पादन हो चुका है तथा 1060 मामले लंबित है। कई मामले 10 दिन से अधिक लंबित है। इस संबंध में सभी DPRO एवं DDC को निदेश दिया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर मामलों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाए।

**(अनुपालनः–सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)**

## IV. जन–शिकायत की अद्यतन स्थिति–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 645 मामलों के विरूद्ध मात्र 352 मामलें में ही जिलो से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। सभी DPRO को निदेश दिया गया कि जन–शिकायत से संबंधित सभी मामलों का नियमित समीक्षा कर

**लगातार.....**

आवश्यक कार्रवाई करते हुए एक माह के अंदर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए।

**(अनुपालनः–सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)**

## V. पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जुलाई 2026 में कुल 8041 ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी थी परंतु 8008 ग्राम सभा ही संचालित की गयी। प्रतीत होता है कि शेष ग्राम सभा द्वारा बैठक की कार्यवाही पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। साथ ही कुल 10989 Aspiration के विरूद्ध मात्र 620 की ही निष्पादन किया गया है। इस पर घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि शेष 33 ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही पोर्टल पर अविलंब अपलोड करना सुनिश्चित करें तथा सभी Aspiration का निष्पादन ससमय किया जाए।

**(अनुपालनः–सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)**

## VI. लंबित न्यायिक वाद :–

कुल 155 CWJC एवं 11 MJC विभिन्न जिलों में लंबित है। MJC मामलों का 07 दिनों तथा CWJC मामलों का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जाए।

**(अनुपालनः–सभी उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रशाखा–9)**

## VII. पंचायत सरकार भवन की समीक्षाः–

**(क)** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक–01.10.2025 को ग्राम पंचायत द्वारा 140, LAEO के द्वारा 367 एवं भवन निर्माण विभाग के द्वारा 322 निर्मित पंचायत सरकार भवन का लोकार्पण किया गया था, परन्तु गया जी, पूर्वी चंपारण, वैशाली, पूर्णिया, मधेपुरा एवं मुंगेर जिलों द्वारा उसका हस्तांतरण कर क्रियाशील करने की प्रगति असंतोषजनक है। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर विधिवत् ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करते हुए पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील करना सुनिश्चित किया जाए।

समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि कतिपय जिलों यथा शिवहर, भोजपुर, समस्तीपुर, मुंगेर, अररिया, पूर्णिया एवं पश्चिम चंपारण में कई दिनो से हस्तानान्तरण के उपरांत भी पंचायत सरकार भवन अक्रियाशील है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा इस संबंध में उक्त जिलो के DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि अक्रियाशील पंचायत सरकार भवन को एक माह के भीतर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें।

**(अनुपालन–सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)**

**(ख)** निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बिहार में कुल 3160 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन

**लगातार.....**

का निर्माण किया गया है जिसमें से 2882 पंचायत सरकार भवन ही संचालित है।

संचालित पंचायत सरकार भवनों में 108 में बैंक, 2864 में RTPS केन्द्र, 2828 में विद्युत कनेक्शन, 1009 में डाकघर, 547 में NOFN, 1104 में पुस्तकालय एवं 29 में सुधा पार्लर का संचालन किया जा रहा है। केवल 1138 पंचायत सरकार भवनों में ही सफाई कर्मी–सह–सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

**(अनुपालन–सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)**

**(ग)** ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण किये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 772 पंचायतो में उपलब्ध भूमि के विरूद्ध तकनीकी सहायक द्वारा 740 पंचायतों में ही प्राक्कलन तैयार किया गया है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी तथा सभी DPRO को निदेश दिया गया कि अबतक जिन पंचायतो में तकनीकी सहायक द्वारा प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है, उन पंचायतो के तकनीकी सहायक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कर विभाग को प्रतिवेदित करें।

साथ ही 639 पंचायतों में तकनीकी स्वीकृति, 579 पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा 181 पंचायतों में निर्माण कार्य प्रारंभ की गयी है, जो चिन्ताजनक है। निदेश दिया गया कि सभी स्वीकृत 1069 पंचायत सरकार भवन में निर्माण कार्य हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा जिला स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा की जाए।

**(अनुपालनः–सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)**

## VIII. मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 8053 पंचायतों के विरूद्ध मात्र 1561 पंचायतों में ही भूमि का चयन किया गया है। तकनीकी सहायक द्वारा मात्र 895 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है जिसमें से मात्र 624 की तकनीकी स्वीकृति एवं 391 की व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। सभी DPRO को निदेश दिया गया कि चिन्हित पंचायतों में प्राक्कलन तैयार कराकर व्यय की स्वीकृति प्राप्त करते हुए निर्माण अविलम्ब करायें।

**(अनुपालनः–सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)**

## IX. मुक्तिधाम, शवदाह–गृह, मृत्यु प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थितिः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक बिहार में कुल 7913 स्थलों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें से अबतक मात्र 6661 अंत्येष्टि प्रतिवेदित है तथा 6328 मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत की गयी है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। GPDP में पूरक योजना लेकर विभागीय निदेश के आलोक में शवदाह–गृह का निर्माण प्रारंभ कराया जाए।

**लगातार.....**

सभी DPRO को निदेश दिया गया कि शमशाम/कब्रिस्तान में किये गये अंत्येष्टि के 24 घंटे के अन्दर मृत्यु प्रमाण–पत्र मृतकों के संबंधितों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि के अन्दर मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया के संबंध में पूर्व में सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है एवं निदेश भी निहित है।

विदित हो कि बिहार विकास मिशन द्वारा प्रत्येक 15 दिनों पर मोक्षधाम की समीक्षा की जाती है। निदेशित किया जाता है कि सभी DPRO नियमित रूप से इसकी समीक्षा कर अद्यतन प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

**(अनुपालनः–सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)**

**X. पंचायत विकास योजना (2026–27)– दैनिक प्रतिवेदनः–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि तीन जिले यथा अररिया, किशनगंज एवं रोहतास द्वारा eGramswaraj पोर्टल पर एक भी DPDP, BPDP एवं GPDP (Combined) अपलोड नहीं किया गया है। साथ ही किसी भी जिले द्वारा DPDP को eGramswaraj पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा सभी DDC को निदेश दिया गया कि दिनांक– 15.08.2026 तक जिला परिषद की बैठक कर DPDP, BPDP एवं GPDP (Combined) को अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

**(अनुपालनः–सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)**

उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

12/8

**(मनोज कुमार)**
सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार

ज्ञापांकः–9प०/विविध–01–247/2023/11702/पं०रा० पटना, दिनांक 13/8/2026

प्रतिलिपिः–बिहार के सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/08/26

**(अखिलेश कुमार सिंह)**
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः–9प०/विविध–01–247/2023/11709/पं०रा० पटना, दिनांक 13/8/2026

प्रतिलिपिः–सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/अपर सचिव के आशुलिपिक/सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/08/26

**(अखिलेश कुमार सिंह)**
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः–9प० / विविध–01–247 / 2023 / 11702 / पं०रा० पटना, दिनांक 13/8 / 2026

प्रतिलिपिः–आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए निदेशित किया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

13/08/26

**(अखिलेश कुमार सिंह)**
विशेष कार्य पदाधिकारी